60

संख्या-1342/XIII-I/2014-5(11)2003

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 02 सितम्बर, 2014

विषयः खाद्यान्न/दलहन/तिलहन बीजों की लागत प्रासंगिक व्यय सहित योजना में धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-कृ0नि0/2117/लेखा-बजट/4401-बीज कय/2014-15 दिनांक 19 जुलाई, 2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-17 के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4401 की योजना-कृषि विभाग की खाद्यान्न/दलहन/तिलहन बीजों की लागत प्रासंगिक व्यय सहित हेतु **रू0 600.00 लाख (रूपये छः करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानों, वित्तीय नियम संग्रहों, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमावली/प्रोक्योरमैन्ट रूल्स, 2008 तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

3- कृषि निदेशक योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त का प्रस्ताव करने से पूर्व विगत वर्ष अवमुक्त धनराशि के विपरीत राजकोष में जमा कर समायोजन कर ली गई धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध करायेंगे अन्यथा द्वितीय किश्त के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

4- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-13 पर संकलित व्यय विवरण शासन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कृषि निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि गत वर्षों में कय किए गए बीजों के वितरण के बाद उतनी धनराशि वापस राजकोष में वसूल कर जमा कर दी गई है। योजनान्तर्गत जनपदवार आवंटित बीज/बीज प्राप्ति/लक्षित कृषकों की सूचना भी शासन को उपलब्ध करायेंगे।

क्रमशः.....2

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–17 के लेखाशीर्षक–4401–फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनेत्तर–103–बीज –03–खाद्यान्न/दलहन/तिलहन बीजों की लागत प्रासंगिक व्यय सहित–00 की मानक मद–31–सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0-**S1408170156** दिनांक 29 अगस्त, 2014 तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या–1342/XIII-I/2014–5(11)2003/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मंडल, हल्द्वानी।
8. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण–वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव